**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 481**

**01 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए**

**इस्पात उपयोग**

**481. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निजी और सरकारी क्षेत्र सहित इस्पात की अधिष्ठापित क्षमता और उसके उपयोग में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्पात की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करके देश में इस्पात उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**इस्पात मंत्री** **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और मंत्रालय की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। इस्पात की संस्थापित क्षमता और उसके उपयोग में वृद्धि करने संबंधी निर्णय कंपनी विशेष (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों) द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिया जाता है। तथापि, सरकार ने देश में इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को जारी करना।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को अधिसूचित करना।

(v) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

(vi) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

(vii) देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संगत हितधारकों के साथ सहभागिता।

(viii) इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

****